इस विषय पर पूर्व में जारी आदेश यथा क्र. आदेश क्र.1–(3695 दि. 16.4.2010), आदेश क्र. 2 (3697) दि. 16.4.2010, आदेश क्र. 3 (4413) दि. 30.4.2010, आदेश क्र. 4 (4415) दि. 30.4.2010, आदेश क्रमांक 5 (9336) दिनांक 9. 9. 2010 हैं तथा आदेश क्रमांक 6 (1402) दिनांक 09.02.11 ।

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र3399 /आई.एम.पी.सेल/एनआर–3/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/2012 भोपाल, दि. 29/3/12

आदेश क्रमांक 07

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला समस्त (मध्यप्रदेश)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संचालित समेकित माइक्रो प्रोजेक्ट की कार्ययोजना के क्रियान्वयन से हासिल उत्पादन वृद्वि, स्थायी आजीविका तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से लक्षित समूहों एवं व्यक्तियों को सुनिश्चित हुये लाभों के विवरणों को लिपिबद्ध करने, उन्हे अधिकतम लोगों तक पहुँचाने, समीक्षात्मक विश्लेषण करने तथा अनुश्रवण बावत।

1. प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से अभिसरण कर चयनित ग्राम के सर्वांगीण विकास एवं ग्रामीणों की टिकाऊ आजीविका के लिए, जलग्रहण सिद्धान्त अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के स्वस्थाने संरक्षण के सिद्वान्त पर आधारित ग्रामवार समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया है।

ग्रामवार समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के अनुक्रम में यह सातवां आदेश है। इस आदेश द्वारा समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट की कार्ययोजना के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से लक्षित समूहों एवं व्यक्तियों को सुनिश्चित हुये वर्षवार लाभों के विवरणों को लिपिवद्ध करने, अधिकतम लोगों तक पहुँचाने, समीक्षात्मक विश्लेषण करने तथा उनके अनुश्रवण के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा रहे हैं।

अनुरोध है कि इस आदेश को गार्ड नस्ती में रखा जावे।

2. समेकित माइक्रो प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु चयनित ग्राम की कार्ययोजना

आदेश क्रमांक–03 द्वारा चयनित ग्राम की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने बावत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। कार्ययोजना तैयारी का आधार नेटप्लानिंग एवं परिवारवार सर्वेक्षण है जिसके आधार पर ग्राम के समस्त खसरों पर संभावित विभिन्न प्रकार के उपचार कार्यों तथा लक्षित परिवारों हेतु आजीविका गतिविधियों का चिन्हांकन किया जाना पूर्व से निर्देशित है। इस अनुक्रम में परिषद के पत्र क्र. 9207 दिनांक 19/09/2011 का अवलोकन करें जिसमें उद्देश्यों के दृष्टिगत कार्ययोजना तैयार करने हेतु न्यूनतम सांकेतिक अध्यायों का उल्लेख है।

कार्ययोजना में कृषि उत्पादन की इष्टतम स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों के स्वस्थाने संरक्षण अर्थात जलग्रहण सिद्धान्त को अपनाया है, गतिविधियों को रिज–टू–वेली क्रम में क्रियान्वित करना सुनिश्चित किया है तथा लक्षित समूहों की टिकाऊ आजीविका हेतु अभिसरण की गतिविधियों को आधार बनाया है ताकि योजना का निर्धारित लक्ष्य हासिल हों।

योजना के मार्गदर्शी निर्देशानुसार ग्राम/ग्राम पंचायत क्षेत्र में रोजगार की संभावित मॉग तथा वार्षिक लेबर बजट के अनुरुप ही वार्षिक कार्ययोजना हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जावे। परियोजना अधिकारी द्वारा उपचारित क्षेत्र में कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि का स्तर हासिल करने का प्रयास किया जावेगा जो मध्यप्रदेश के सम्बन्धित सिंचित क्षेत्रों में हासिल स्तर के अनुरुप है या अधिसूचित है।

2.1. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा विभिन्न स्तर पर समीक्षात्मक विश्लेषण हेतु ऑनलाईन इन्फॉरमेशन सिस्टम

विविध प्रकार की संकलित जानकारी का संधारण तथा समय–समय पर विभिन्न स्तरों से की जाने वाली समीक्षा, लक्षित समूहों को प्राप्त लाभ के परिणाम एवं अनुश्रवण प्रक्रिया को सरलतम बनाये जाने के उद्देश्य से ऑनलाईन इन्फॉरमेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। यह साफ्टवेयर ऑनलाईन रखा जावेगा। इसकी सहायता से पी.आई.ए. अपनी आवश्यकता तथा अनुश्रवण की दृष्टि से वांछित समस्त आवश्यक रिपोर्ट एवं तुलनात्मक स्थिति ज्ञात कर सकेंगे। पी.आई.ए. से अपेक्षा है कि वे ऑनलाईन इन्फॉरमेशन सिस्टम का उपयोग सुनिश्चित करें।

उपयुक्त ऑनलाईन इन्फॉरमेशन सिस्टम महात्मा गांधी नरेगा के तहत् संचालित एम.आई.एस. के अतिरिक्त रहेगा इसलिये एम.आई.एस. में की जा रही प्रविष्टियाँ पूर्ववत् पृथक से की जाना अनिवार्य होगी।

3. पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

3.1. विदित है कि महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानानुसार प्रत्येक ग्राम स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित कराये जा रहे कार्यो के संपादन, अनुश्रवण, प्रगति तथा गुणवत्ता आकलन हेतु पूर्व से ही सतर्कता मूल्यांकन समितियॉ गठित है। समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु नियुक्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा समस्त कार्यो के संपादन, अनुश्रवण, प्रगति तथा गुणवत्ता का समय–समय पर आकलन ग्राम स्तरीय सतर्कता मूल्यांकन समिति एवं ग्राम पंचायत/ग्रामसभा द्वारा कराया जाकर, उसका, अभिलेख संधारित किया जावेगा। समिति तथा ग्रामसभा/ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का अभिलेखन कराया जावेगा। सुझावों एवं आपत्तियों के निराकरण उपरांत, वस्तुस्थिति की जानकारी से समिति तथा ग्राम पंचायत/ग्रामसभा को लिखित रूप में अवगत कराने की जिम्मेदारी पी.आई.ए. की होगी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार समय–समय पर जिले के सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा भी मौके पर किये गये कार्यो का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन किया जा

सकता है। मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या अन्य आपत्तिजनक तत्व पाये जाने पर तत्संबंधी टीप ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध शिकायत/निरीक्षण पंजी में अंकित की जावेगी। प्रकरण में आगामी कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के लिये मूल्यांकन/निरीक्षण अधिकारी द्वारा जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जावेगा।

3.2. 5.00 लाख से अधिक लागत के कार्यो में कार्य की प्रकृति एवं तकनीकी मापदण्डानुसार स्टेजवाईज तकनीकी निरीक्षण, संबंधित जनपद पंचायत के सहायक यंत्री (महात्मा गांधी नरेगा) से भी अनिवार्यतः कराया जाकर अभिलेखीकरण कराया जावेगा।

3.3. शासकीय पी.आई.ए. को आवंटित क्लस्टर क्षेत्र में आने वाले ग्राम/ग्राम पंचायत में एक उपयंत्री केवल समेकित माइक्रो प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु पूर्णकालिक रूप से शासकीय पी.आई.ए. दल का सदस्य रहेगा। इस संबंध में निर्देश कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी किये जावेंगे। शासकीय पी.आई.ए. दल द्वारा आदेश क्रमांक–05 कंडिका 2.4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्ययोजना अनुसार कराये जाने वाले कार्यो में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा। शासकीय पी.आई.ए. द्वारा क्रियान्वित कार्यो का मापन एवं मूल्यांकन कार्य प्रकृति अनुसार पी.आई.ए. दल में नियुक्त तकनीकी दल सदस्य द्वारा किया जावेगा।

3.4. अशासकीय पी.आई.ए. द्वारा क्रियान्वित कार्यो का मापन एवं मूल्यांकन कार्य प्रकृति अनुसार अशासकीय पी.आई.ए. के सक्षम तकनीकी दल सदस्य द्वारा किया जावेगा।

4. कार्य–पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जाना

4.1 शासकीय पी.आई.ए. द्वारा कराये समस्त कार्यो के कार्य–पूर्णता प्रमाणपत्र पर मूल्यांकनकर्ता पी.आई.ए. दल के सदस्य, पी.आई.ए. दल के प्रमुख (परियोजना अधिकारी) तथा पदेन सदस्य, कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के हस्ताक्षर होंगे।

4.2 अशासकीय पी.आई.ए. द्वारा कराये समस्त कार्यो के कार्य–पूर्णता प्रमाणपत्र पर संस्था के मूल्यांकनकर्ता पी.आई.ए. दल के सदस्य, पी.आई.ए. दल के प्रमुख (परियोजना अधिकारी) तथा पदेन सदस्य, कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के हस्ताक्षर होंगे।

4.3 हितग्राही मूलक कार्य के पूर्णता के प्रमाणपत्र पर उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त संबंधित हितग्राही के भी हस्ताक्षर होंगे। यह व्यवस्था शासकीय एवं अशासकीय पी.आई.ए. पर समान रुप से लागू होगी।

4.4 निर्मित संरचनाओं के संधारण हेतु उपयोगकर्ता दलों को परियोजना अवधि में ही प्रेरित किया जावे ताकि वे परियोजना समाप्ति के पूर्व से ही दायित्वों का निर्वाह कर सकें तथा संरचना से जुड़ी एक्जिट प्रोटोकॉल की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।

5 वित्तीय प्रबंधन

5.1 नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी को राशि का आवंटन महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानानुसार (देखें आदेश 5, अनुलग्न 3) किया जावेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर निरंतर टॉप–अप प्रक्रिया के माध्यम से तथा पी.आई.ए. एवं लाईन विभागों को जिला स्तर से राशियों का आवंटन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर मॉग अनुसार किया जावेगा। किसी भी एजेंसी द्वारा किये गये व्यय का आधार एम.आई.एस. में अंकित व्यय होगा जिसे सत्यापन के उपरान्त मान्य किया जावेगा।

5.2 जिला स्तर से पी.आई.ए. दल को समयसीमा में राशि आवंटित की जावेगी। इसके लिये आवश्यक है कि प्रस्तुत मॉग के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे, मांग कार्ययोजनानुसार हो तथा परीक्षण उपरांत मांग उपयुक्त हो। विपरीत परिस्थिति अथवा किसी गंभीर शिकायत की स्थिति में जिला स्तर से समय सीमा में राशि आवंटन संभव नही होगा और उसके बारे में संबंधित पी.आई.ए. को अवगत कराया जावेगा।

5.3 विभिन्न विभागों की शासकीय या अन्य स्रोतों की योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्बन्धित योजना की निर्धारित प्रक्रिया (देखें आदेश क्रमांक 2, पेरा 4.2) ही अपनाई जावेगी। उसका निर्माण या क्रियान्वयन भी उसी योजना के अमले, प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार सम्पादित किया जावेगा।

6. कार्ययोजना अनुसार लक्षित उपलब्धियों या परिणामों की समीक्षा

6.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्ययोजना में वर्णित उपचार कार्यो, आजीविका गतिविधियों तथा अभिसरण उपलब्धियों की समीक्षा (देखें परिषद का पत्र क्रमांक 9207 दिनांक 19.09.11, तालिका 15 एवं 17) अनुसार की जावेगी । इस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपचार कार्यो के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सृजित रोजगार, पलायन की स्थिति, विकसित जलसंग्रहण क्षमता, सिंचित क्षेत्र मे वृद्धि (सतही जल एवं भूजल से सिंचित रकबा पृथक–पृथक), फसलवार कृषि उत्पादन में वृद्धि इत्यादि उपलब्धियों/ परिणामों की समीक्षा की जावेगी। इसी प्रकार आजीविका गतिविधियों से लाभांवित हितग्राही, औसत वार्षिक आय वृद्धि, पलायन इत्यादि घटकों पर उपलब्धि या परिणाम तथा अभिसरण परिणामों की समीक्षा की जावेगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष, वार्षिक कार्ययोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की भी समीक्षा की जाना चाहिये। प्राप्त समीक्षा परिणामों से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत तथा जिला कलेक्टर को अवगत कराया जावेगा।

6.2 जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत द्वारा स्वतंत्र समीक्षा भी कराई जा सकती है। समीक्षा परिणामों के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा के लक्षित समूह सहित सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उनकी टिकाऊ आजीविका की सुनिश्चितता की प्रक्रिया में परिमार्जन या नवाचारों के लिये विकास आयुक्त को सुझाव दिये जा सकते हैं।

7. **पंचायत द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में सृजित भौतिक लाभों के बंटवारे के लिये पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के प्रावधानों का उपयोग**

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा–7 के पैरा "प", "झझ", "दद", "धध" तथा "पप" में ग्रामसभा को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पंचायत के क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण/संवर्धन से सृजित भौतिक लाभों के प्रबंधन का प्रावधान है। इन प्रावधानों का अध्ययन कर लक्षित समूहों के बीच लाभों का बॅटवारा किया जाना चाहिये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 3400/आई.एम.पी.सेल/एनआर–3/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/2012 भोपाल, दि. 29/3/12

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संभागायुक्त (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, वाल्मी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, अधारताल, जबलपुर।
6. संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा), म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग